# दिल्ली परिवहन निगम
# (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार)
# इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

## डीटीसी के वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए सूचना

दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04–11–2022 के निर्णय के संदर्भ में प्रबंधन, दिल्ली परिवहन निगम ने ईपीएस–95 के सभी पात्र सदस्य जो 01–09–2014 के बाद सेवानिवृत हुए हैं या वर्तमान में डीटीसी की सेवा में कार्यरत हैं, को वास्तविक वेतन पर ईपीएस के योगदान के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करने का विकल्प देने का फैसला किया है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ईपीएस–95 के सभी पात्र सदस्य (ईपीएस–95 पेंशनभोगियों सहित) जो वास्तविक वेतन (बकाया सहित, यदि कोई हो) पर अंशदान का विकल्प चुनने में रूचि रखते हैं, तो वे अपनी सहमति संयुक्त विकल्प प्रपत्र (प्रारूप सभी डिपो /इकाईयों और डीटीसी वेबसाईट पर उपलब्ध है) में हार्ड कॉपी (03 सेट) में 15–02–2023 को या उससे पहले अपने संबंधित डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी को आगामी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने भर से कोई कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी वास्तविक वेतन दर पर ईपीएस–95 पेंशन का हकदार नहीं होगा, यह ईपीएफओ से पेंशन के लिए अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के अधीन है और इस संबंध में ईपीएफओ (पेंशन वितरण प्राधिकरण होने के नाते) का निर्णय अंतिम होगा। ईपीएफओ द्वारा किसी भी कारणवश, वास्तविक वेतन दर पर पेंशन नहीं देने पर डीटीसी जिम्मेदार नहीं होगी। इस संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए कृपया डीटीसी वेबसाईट (www.dtc.nic.in) नियमित रूप से देखें।

उप मुख्य महाप्रबन्धक (पीएफ)